



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39754

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2656/2026

राम रतन सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रूपेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उपेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर एस उमराव की दलीलें सुनी गईं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर एस उमराव ने कोर्ट में यह बयान दिया कि उनके पास आवश्यक निर्देश हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं; साथ ही, वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 11.02.2001 को होम गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में, केस क्राइम संख्या 170/2022 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 506 के अंतर्गत रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और उसे 08.01.2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरांत, 24.01.2023 को उसे एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया, जिसका जवाब रिट याचिकाकर्ता ने 01.02.2023 को प्रस्तुत किया। रिट याचिकाकर्ता को 23.03.2023 को सेवा में बहाल कर दिया गया था; तथापि, 29.08.2025 को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उसे पुनः एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया, जिसका जवाब रिट याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत कर दिया है। इसके बावजूद, दिनांक 18.08.2023 के सरकारी आदेश के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता को अपनी इयूटी (कर्तव्य) फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्रतिवादियों द्वारा अपराधों के आधार पर किया गया वर्गीकरण—जिनके लिए सज़ा 7 साल या उससे ज्यादा है—महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट-ए संख्या 16186/2024, दिनांक 26.09.2025 को निस्तारित) मामले में चुनौती का विषय बना था, और दिनांक 18.08.2023 के सरकारी आदेश के खंड 5, 6 और 8 को अधिकार-बाह्य घोषित कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि रिट याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।
4. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिए जाने के बाद, महेश सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में ही निर्णय लिया जाएगा।
5. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय इस मत का है कि—चूँकि रिट याचिकाकर्ता पहले ही कारण बताओ नोटिस का जवाब

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दे चुका है और महेश सिंह (उपरोक्त) मामले में एक निर्णय भी मौजूद है—अतः, जिस प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसे यह निर्देश दिया जाता है कि वह छह सप्ताह की अवधि के भीतर, महेश सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में ही, इस कार्यवाही पर निर्णय ले।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

23 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”